कार्यालय,आयुक्त, उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन–भोपाल, 462004

क्रमांक / 1750 / 879 / शाखा–8 / 07 भोपाल, दिनांक 06 / 11 / 2007

प्रति,

संबधित प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश

विषयः– *गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत 2005–06 व 2006–07 में चयनित छात्रा हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का बजट आवंटन वर्ष 2007–2008*

***

उपरोक्त विषयान्तर्गत गांव की बेटी योजनान्तर्गत 2005–06 व 2006–07 में चयनित छात्रा को द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु छात्रवृत्ति प्रदाय किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में संलग्न कम्प्यूटर शीट में दर्शाये अनुसार राशि का बजट आवंटन एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उक्त राशि का आहरण एवं व्यय कम्प्यूटर शीट में दर्शाये मद में उच्च शिक्षा विभाग के वित्तीय वर्ष 2007–08 के बजट में विकलनीय होगा। प्राचार्य (आहरण–संवितरण अधिकारी) सुनिश्चित करें कि पात्र छात्रा को इस योजना का लाभ अनिवार्य रूप से मिल जाए।

यह जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी कि कोई भी पात्र छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित न हो।

निम्नलिखित तथ्यों, का प्रमाण–पत्रों के आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन करने के उपरांत ही छात्रवृत्ति का वितरण किया जाए–

1. उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु वर्ष 2005–06 की चयनित छात्रा ने तृतीय वर्ष व वर्ष 2006–07 की चयनित छात्रा ने द्वितीय वर्ष में महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिया हो एवं अध्ययनरत हो। इसका परीक्षण एवं सत्यापन महाविद्यालय स्तर से किया जाए।
2. यदि छात्रा अशासकीय महाविद्यालय या अन्य संस्था में प्रवेशित है और वह पात्र पाई गई है तो उसके लिए बजट आवंटन संबंधित अग्रणी महाविद्यालय को भेजा जा रहा है। अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि संबधित अशासकीय महाविद्यालय के बारे में यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उसे वर्तमान में मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं।
3. अन्य संस्थाओं की चयनित छात्रा को बजट प्रदाय करने व छात्रा से प्रदाय राशि की पावती प्राप्त कर संधारित करने की कार्यवाही अग्रणी महाविद्यालय स्तर से प्रमाण–पत्रों का परीक्षण कर की जाएगी। किसी भी स्थिति में संबंधित संस्था को बजट स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
4. पात्र छात्राओं को राशि वितरित करने से पूर्व घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए। (घोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न है।)

5. किसी भी स्थिति में प्राप्त बजट में से प्रति छात्रा छात्रवृत्ति राशि रू. 500.00 प्रतिमाह की दर से शैक्षणिक सत्र हेतु 10 माह के लिए रू. 5000.00 (रू. पॉच हजार) से अधिक नहीं होगी।
6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्रांतर्गत आने वाले सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की पात्र छात्राओं को समय से योजना का लाभ प्राप्त हो जाए।
7. गांव की बेटी योजनान्तर्गत विस्तृत जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.mp.gov.in/highereducationmp पर उपलब्ध है
8. जारी किया गया बजट दिनांक **05.नवम्बर.2007** को आयुक्त कोष–लेखा के सेन्ट्रल सर्वर पर लोड करा दिया गया है।

उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए तत्काल योजना का क्रियान्वयन किया जाए।

संलग्नः– बजट आवंटन की कम्प्यूटर शीट।

हस्ताक्षर
(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/1751/879/योजना/शा.8/07 भोपाल, दिनांक 06/11/2007

प्रतिलिपि–

1. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संबंधित कोषालय अधिकारी म.प्र.।

हस्ताक्षर
(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल

घोषणा पत्र

प्राचार्य,
महाविद्यालय का नाम ....

स्थान .... (म.प्र.)

1	छात्रा का नाम	
2	जाति	1. अनु.जाति ☐ 3. अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ 2. अनु.ज.जाति ☐ 4. अनाराक्षित ☐
2	पिता का नाम	
3	माता का नाम	
4	अ. स्थायी पता (गावं का पता)	
	ब. गांव का नाम	
	स. ब्लाक	
	द. जिला	

8 शैक्षणिक परिचय

क्र.	परीक्षा	प्राप्तांक	पूर्णांक	गांव की बेटी योजनान्तर्गत प्राप्त की गई राशि का विवरण	
				राशि	प्राप्ति दिनांक
1	12 वीं				
2	प्रथम वर्ष				
3	द्वितीय वर्ष				
4	तृतीय वर्ष				

घोषणा

मैं घोषणा करती हूॅ कि उक्त जानकारी मेरे द्वारा भरी गई है जो पूर्णतः सत्य है।

हस्ताक्षर (छात्रा)

प्राचार्य का सत्यापन